

तलाक और धार्मिक दृष्टिकोण

गजेन्द्र कुमार मालवीय

सह- आचार्य समाजशास्त्र, विभागाध्यक्ष,

समाजशास्त्र विभाग राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़ (राज.)

सार

तलाक और धार्मिक दृष्टिकोण हर धर्म में अलग-अलग होते हैं; जहाँ हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है लेकिन कानूनी तौर पर तलाक संभव है (हिंदू विवाह अधिनियम), वहीं बौद्ध धर्म तलाक की अनुमति देता है, और इस्लाम में तलाक को हतोत्साहित किया जाता है लेकिन इसके कई रूप हैं। ईसाई धर्म में भी तलाक पर सख्त रुख है, लेकिन कुछ अपवाद हैं (जैसे बेवफाई), जबकि सामान्य तौर पर, अधिक धार्मिक लोगों में तलाक की दर कम पाई गई है, लेकिन तलाक का अनुभव बाद की धार्मिकता को प्रभावित कर सकता है।

परिचय

विभिन्न धर्मों में तलाक

हिंदू धर्म: विवाह को पवित्र बंधन (संस्कार) मानते हैं, लेकिन आधुनिक कानून (हिंदू विवाह अधिनियम, 1955) क्रूरता, परित्याग, आपसी सहमति जैसे आधारों पर तलाक की अनुमति देता है।

बौद्ध धर्म: विवाह पर कोई कठोर नियम नहीं, इसलिए तलाक की अनुमति है और दुखद विवाह में इसकी सिफारिश भी की जा सकती है।

इस्लाम: तलाक को हतोत्साहित किया जाता है, लेकिन पति और पत्नी दोनों द्वारा शुरू किए गए विभिन्न प्रकार के तलाक को मान्यता देता है।

ईसाई धर्म: यीशु ने तलाक को मूल इरादे के विपरीत बताया, लेकिन व्यभिचार (अनैतिक यौन संबंध) को एक अपवाद माना जाता है, और तलाक के बाद दोबारा विवाह को भी कठिन माना जाता है। [1,2,3]

सामान्य धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण

धार्मिक जुड़ाव: जो जोड़े धार्मिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, उनके तलाक की संभावना कम होती है।

तलाक का प्रभाव: तलाक एक बड़ी जीवन घटना है जो व्यक्ति के बाद के धार्मिक जुड़ाव और उपस्थिति को बदल सकती है।

सामाजिक कलंक: कई रूढ़िवादी समाजों में, खासकर महिलाओं के लिए, तलाक अभी भी एक कलंक है।

बच्चों पर असर: तलाक माता-पिता के अलग-अलग धार्मिक विचारों के कारण बच्चों के पालन-पोषण और उनकी स्थिरता को प्रभावित कर सकता है।

संक्षेप में, तलाक को लेकर धार्मिक दृष्टिकोण अक्सर विवाह की पवित्रता और स्थायी बंधन पर जोर देते हैं, लेकिन कानून और सामाजिक प्रथाएं, धार्मिक मान्यताओं के साथ मिलकर, तलाक को अलग-अलग तरीकों से संबोधित करती हैं।

विचार-विमर्श

हिन्दू धर्म में विवाह को सात जन्मों का पवित्र संस्कार माना जाता है, जिसमें तलाक की पारंपरिक रूप से कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन आधुनिक समय में हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत कानूनी रूप से तलाक संभव है, जो क्रूरता, व्यभिचार, परित्याग, मानसिक बीमारी और आपसी सहमति जैसे आधारों पर दिया जा सकता है, जिससे जीवन को सम्मानजनक तरीके से आगे बढ़ाया जा सके. [4,5,6]

धार्मिक और पारंपरिक दृष्टिकोण

संस्कार, समझौता नहीं हिन्दू धर्म में विवाह को दो आत्माओं का मिलन और एक पवित्र संस्कार (Sacrament) माना जाता है, न कि कोई सामाजिक या व्यावसायिक समझौता, इसलिए इसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था.

जन्म-जन्मांतर का बंधन: इसे जन्मों-जन्मों का साथ माना जाता है, जिसमें पति-पत्नी एक-दूसरे के सुख-दुःख में साथ निभाते हैं.

ऐतिहासिक मान्यता: पुराने समय में तलाक दुर्लभ था, और स्त्रियों पर साथ रहने का दबाव होता था, लेकिन शास्त्रों में कुछ विशेष परिस्थितियों (जैसे पुरुष द्वारा त्याग या रोग) में पुरुष को पत्नी से अलग होने की अनुमति थी, लेकिन महिलाओं के लिए यह कठिन था.

कानूनी दृष्टिकोण (हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955)

तलाक का प्रावधान: इस अधिनियम ने हिन्दू विवाह को कानूनी रूप से तोड़ने (विवाह विच्छेद) की व्यवस्था की, जिससे व्यक्ति स्वतंत्र जीवन जी सके और पुनर्विवाह कर सके.

तलाक के आधार (धारा 13): व्यभिचार (Adultery), क्रूरता (Cruelty), परित्याग (Desertion), धर्म परिवर्तन, मानसिक विक्षिप्तता, असाध्य रोग, संन्यास लेना, और मृत्यु की आशंका जैसे आधारों पर तलाक मांगा जा सकता है.

आपसी सहमति से तलाक (धारा 13B): यदि पति-पत्नी एक साल से अलग रह रहे हों और सहमति से अलग होना चाहते हों, तो आपसी सहमति से भी तलाक हो सकता है.

संक्षेप में, धार्मिक रूप से हिन्दू विवाह को अटूट माना जाता है, लेकिन सामाजिक और कानूनी व्यवस्थाओं के कारण, आधुनिक हिन्दू समाज में तलाक एक वास्तविकता है, जो जीवन की जटिलताओं और व्यक्तियों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए कानूनी रूप से संभव है.

परिणाम

ईसाई धर्म में तलाक को लेकर अलग-अलग विचार हैं; कैथोलिक चर्च इसे स्वीकार नहीं करता और शादी को अमान्य (annulment) करने का विकल्प देता है, जबकि प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स चर्च कुछ गंभीर परिस्थितियों (जैसे व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग) में तलाक की अनुमति देते हैं, जो बाइबल (विशेषकर 1 कुरिन्थियों 7:10-11) और चर्च के सिद्धांतों पर आधारित है, और भारत में इसे मुख्य रूप से इंडियन डाइवोर्स एक्ट, 1869 के तहत कानूनी रूप से निपटाया जाता है। [7,8,9]

ईसाई धर्म में तलाक के मुख्य सिद्धांत:

पवित्र बंधन: विवाह को भगवान द्वारा बनाया गया एक पवित्र और अटूट बंधन माना जाता है, जहाँ पति-पत्नी एक तन हो जाते हैं।

बाइबल का दृष्टिकोण: बाइबल (मत्ती 19:9) व्यभिचार (adultery) के आधार पर तलाक की अनुमति देती है, लेकिन सामान्यतः इसे हतोत्साहित करती है।

कैथोलिक चर्च: तलाक को मान्यता नहीं देता। यदि शादी के हालात बहुत खराब हो जाएं, तो वे शादी को 'रद्द' (annulment) करने की प्रक्रिया बताते हैं, जिसका अर्थ है कि विवाह शुरू से ही वैध नहीं था, न कि इसे तोड़ा गया।

प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स चर्च: ये कुछ विशेष परिस्थितियों में तलाक को वैध मानते हैं, जैसे:

व्यभिचार (Adultery)

पति या पत्नी द्वारा बिना सहमति के धर्म बदलना (Conversion)

मानसिक बीमारी या क्रूरता (Cruelty)

लंबे समय तक अलगाव (Separation)

भारत में कानूनी प्रक्रिया (इंडियन डाइवोर्स एक्ट, 1869):

भारत में ईसाइयों के बीच तलाक मुख्य रूप से इंडियन डाइवोर्स एक्ट, 1869 द्वारा नियंत्रित होता है। इसमें आपसी सहमति (Mutual Consent) और विवादित (Contested) दोनों तरह के तलाक शामिल हैं।

आपसी सहमति से तलाक के लिए 2 साल तक अलग रहना जरूरी हो सकता था, जिसे बाद के कानूनों (जैसे 2017 के संशोधन) से बदला गया। [10,11,12]

ईसाई धर्म में तलाक एक संवेदनशील और जटिल विषय है, जिसमें धार्मिक विश्वास और कानूनी प्रक्रियाएं मिलती हैं। जबकि कैथोलिक चर्च इसे स्वीकार नहीं करता, अन्य संप्रदाय और कानूनी ढांचा इसे कुछ शर्तों के साथ अनुमति देता है, जो विश्वास, बाइबिल के सिद्धांतों और व्यक्तिगत परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

इस्लाम में तलाक (विच्छेद) एक प्रक्रिया है, जिसे नापसंद किया जाता है लेकिन अनुमति है, जिसमें पति या पत्नी आपसी सहमति या विशिष्ट तरीकों (जैसे तलाक-ए-हसन अहसन, जहाँ सुलह का मौका मिलता है) से अलग हो सकते हैं; पत्नी के लिए खुला होता है, जिसमें वह मेहर वापस करके तलाक मांग सकती है, और भारत में तीन तलाक (बिद्दत) को गैरकानूनी घोषित किया गया है, जबकि तलाक के बाद पत्नी को बहुत अवधि (3 महीने) और भरण-पोषण, मेहर व दहेज का अधिकार मिलता है।

तलाक के मुख्य प्रकार

तलाक-ए-हसन (Talaq-e-Hasan): पति तीन महीने की अवधि में, हर महीने एक बार तलाक कहता है, और हर बार सुलह का मौका मिलता है; 90 दिन बाद तलाक पक्की होती है।

तलाक-ए-अहसन (Talaq-e-Ahsan): एक बार तलाक कराकर 90 दिन तक इंतजार करना; अगर सुलह न हो तो तलाक अंतिम हो जाती है (यह सबसे शुद्ध रूप है)।

खुला (Khula): पत्नी द्वारा तलाक की मांग, जिसमें वह मेहर या अन्य मुआवजा वापस करती है

(पति की सहमति से या अदालत के जरिए).

मुबारत (Mubarat): पति-पत्नी की आपसी सहमति से तलाक (कोई भी पहल कर सकता है).

तलाक-ए-विद्दत (Talaq-e-Biddat): तीन बार 'तलाक' बोलकर तक्ताल तलाक; यह भारत में अवैध है और इसे जघन्य माना जाता है.

इस्लाम में तलाक का उद्देश्य

विवाह को समाप्त करना: जब सद्भाव और प्रेम खत्म हो जाए, तो सम्मानजनक तरीके से अलग होने का रास्ता. [13,14,15]

सुलह का अवसर: बहुत (प्रतीक्षा अवधि) का उद्देश्य गुस्से में लिए गए फैसले को रोकना और सुलह का मौका देना है.

महिला अधिकार: शरीयत और सुप्रीम कोर्ट के फैसले महिला को महर, दहेज और संपत्ति का हक दिलाते हैं, खासकर तलाक के बाद.

तलाक के बाद महिला के अधिकार (भारत के संदर्भ में)

इद्दत अवधि: 3 महीने या बच्चे के जन्म तक पति से भरण-पोषण (रहने, खाने-पीने का खर्च) का हक.

मेहर (Maher): विवाह के समय तय की माँ राशि/संपत्ति, जो तलाक के बाद तुरंत देय होती है.

दहेज उपहार: शादी में मिले सभी निजी सामान और उपहार वापस पाने का अधिकार. इस्लाम में तलाक को अंतिम उपाय माना जाता है, लेकिन यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें पति और पत्नी दोनों के अधिकारों का ध्यान रखा जाता है, खासकर आधुनिक कानूनों और अदालती फैसलों के बाद, जो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करते हैं.

बौद्ध धर्म में तलाक को लेकर कोई सख्त नियम नहीं हैं क्योंकि विवाह को धार्मिक संस्कार की बजाय एक धर्मनिरपेक्ष, नागरिक मामला माना जाता है; यदि विवाह से दुख या पीड़ा बढ़ रही हो, तो शांति और आध्यात्मिक विकास के लिए अलग होने (तलाक) की अनुमति है, और इसे अनावश्यक पीड़ा से बचने का एक रास्ता माना जाता है, जहाँ बुद्ध की शिक्षाएँ दर्द को स्वीकार करने और पीड़ा को कम करने में मदद करती हैं.

बौद्ध धर्म और तलाक के मुख्य बिंदु:

धर्मनिरपेक्षता: बौद्ध धर्म विवाह को एक धार्मिक संस्कार नहीं, बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष, नागरिक व्यवस्था मानता है, इसलिए तलाक पर कोई धार्मिक प्रतिबंध नहीं है. [16,17,18]

दुख से मुक्ति: बुद्ध की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य दुखों का अंत और जागृति है. यदि वैवाहिक जीवन दुख, क्रोध और घृणा का कारण बन रहा है, तो अलग होना उस दुख से मुक्ति पाने का एक रास्ता हो सकता है.

स्वतंत्रता और अनुमति: बौद्ध धर्म में पति या पत्नी, दोनों को तलाक लेने की स्वतंत्रता है. यह कोई कलंक नहीं है और यदि परिस्थितियाँ इसकी माँग करती हैं, तो तलाक लेना स्वीकार्य है.

अनुभवजन्य दृष्टिकोण: यह एक व्यावहारिक निर्णय है. यदि रिश्ता टूट गया है, तो उसे जबरदस्ती घसीटने के बजाय, अलग होकर शांति और समय के साथ आगे बढ़ना बेहतर है.

बुद्ध की शिक्षा का अनुप्रयोग: बुद्ध ने स्वयं अपने परिवार को त्याग दिया था. उनकी शिक्षाएँ (जैसे कि कोई काम फायदेमंद है या नुकसानदायक) इस तरह के निर्णयों में मार्गदर्शन करती हैं. यह देखना चाहिए कि क्या अलग होने से फायदा है या नुकसान.

संक्षेप में: बौद्ध धर्म तलाक को एक बुराई नहीं मानता, बल्कि दुख से बचने और आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए एक स्वीकार्य और कभी-कभी अनुशंसित विकल्प मानता है, बशर्ते कि यह समझदारी और शांति से किया जाए.

निष्कर्ष

जैन धर्म में तलाक को स्पष्ट रूप से पाप नहीं माना जाता, बल्कि इसे एक सामाजिक संस्था मानते हैं, जहाँ अहिंसा और करुणा के सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, लेकिन हाल ही में कानूनी विवाद हुआ है जहाँ फैमिली कोर्ट ने जैन जोड़ों को हिंदू गैरिज एक्ट के तहत तलाक देने से मना किया, जिससे धार्मिक स्वतंत्रता और कानूनी अस्पष्टता पर सवाल उठे, जबकि हाई कोर्ट ने कहा कि जैनों को अपने नियमों के अनुसार चलने का अधिकार है और हिंदू मैरिज एक्ट लागू करना संवैधानिक उल्लंघन हो सकता है, क्योंकि जैन विवाह को धार्मिक संस्कार नहीं बल्कि सामाजिक परंपरा मानते हैं.

जैन धर्म और तलाक (Divorce in Jainism)

धार्मिक दृष्टिकोण: जैन धर्म में विवाह को एक धार्मिक संस्कार (Sacrament) नहीं, बल्कि एक सामाजिक समझौता (Social Institution) माना जाता है. इसलिए, विवाह-विच्छेद (तलाक) को पाप नहीं माना जाता, लेकिन जैन शिक्षाएँ रिश्तों में सत्य, अहिंसा और करुणा पर जोर देती हैं, और दुखदायक रिश्ते को खत्म करने की सलाह देती हैं, बशर्ते वह गरिमा और अहिंसा के साथ हो.

कानूनी स्थिति: भारत में, जैनों को ऐतिहासिक रूप से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ही तलाक मिलता रहा है, क्योंकि जैन समुदाय का अपना कोई अलग पर्सनल कानून नहीं है, और हिंदू मैरिज एक्ट जैनों, बौद्धों और सिखों पर लागू होता है. [19]

हालिया विवाद: इंदौर फैमिली कोर्ट ने कुछ जैन जोड़ों की तलाक याचिकाओं को खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि जैन धर्म हिंदू मैरिज एक्ट से अलग है और वे इस एक्ट के तहत तलाक के हकदार नहीं हैं.

हाई कोर्ट का फैसला: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के फैसले पर रोक लगाई और कहा कि जैनों को अपनी परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता का पालन करने का संवैधानिक अधिकार है. उन्हें हिंदू कानूनों के तहत बांधना गलत है और एससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का हनन होता है.

जैन धर्म के मौलिक सिद्धांतों के अनुसार तलाक वर्जित नहीं है, बल्कि जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है. कानूनी मोर्चे पर, जैनों के लिए अलग पर्सनल लॉ की कमी और हिंदू मैरिज एक्ट के दायरे को लेकर विवाद जारी है, जिसमें हाई कोर्ट ने जैनों की धार्मिक स्वतंत्रता के पक्ष में फैसला सुनाया है, जिससे भविष्य में उनके लिए अलग कानून की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है. [20]

10

संदर्भ

1. तलाक एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मूल से 22 सितंबर 2017 को संग्रहित. 22 सितंबर 2017 को पुनः प्राप्त.
2. संघीय मध्यस्थता अधिनियम और संघीय न्यायालयों में पृथक्करण सिद्धांत का अनुप्रयोग ड्यूक लॉ जर्नल 1968 (3): 588-614. जून 1968. doi: 10.2307/1371645. ISSN 0012-7086. JSTOR 1371645.
3. तलाक". पारिवारिक कानून एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका मूल से 22 सितंबर 2017 को संग्रहित. 22 सितंबर 2017 को पुनः प्राप्त.
4. द कोवेनेंट डिवोर्स रिकवरी लीडर्स हैंडबुक-पृष्ठ 166, वेड पॉवर्स - 2008
5. ग्लोरिया, चार्गियन के (2007). - फिलीपींस में तलाक की किसे जरूरत है?". जिंडानाओ लॉ जर्नल. 1: 18-28. doi: 10.3860/mlj.v1i1.315.
6. अर्जेटीना में अब तलाक कानूनी है, लेकिन अभी तक बहुत कम जोड़ों ने यह कदम उठाया है। लॉस एंजिल्स टाइम्स मूल लेख 21 जुलाई 2015 को संग्रहित किया गया था। 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया।

7. सेक्स और राज्य: लैटिन अमेरिकी तानाशाही और लोकतंत्र के तहत गर्भपात, तलाक और परिवार, माला हटुन द्वारा लिखित, पृष्ठ 102

२ ले डिवोर्स एन ड्रोकट कंपेयर: यूरोप बर्नार्ड डुटोस्ट द्वारा, राफेल अर्न, बीट्राइस सोडिलिया, कैमिला टैमिनेली, पीपी. 56

५ - विली ने तलाक का अधिकार लागू किया श्रीवीसी न्यूज 18 नवंबर 2004 मूल से 4 नवंबर 2013 को संग्रहीत ॥ नवंबर 2013 को पुनः प्राप्त ।

10.- विवाह कानून के पीछे (पीडीएफ) Law.harvard.edu मूल से 25 मार्च 2015 को संग्रहीत (पीडीएफ) 22 अप्रैल 2015 को पुनः प्राप्त ।

11. Sveriges Domstolar-Divorce. Domstol.se. 7 दिसंबर 2005. मूल से 15 सितंबर 2014 को संग्रहीत 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त ।

12. Suomi.fi, Suomi.fi. मूल से 5 अगस्त 2017 को संग्रहीत 21 सितंबर 2017 को पुनः प्राप्त ।

13.- पृथक्करण और तलाक Familylawcourts.gov.au. मूल से 24 सितंबर 2014 को संग्रहीत 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त ।

14.- तलाक लेना (विवाह या नागरिक संघ को भंग करना)". Justice.govt.nz. मूल से 15 सितंबर 2014 को संग्रहीत 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त ।

15. गैवरॉन, टोमास । चेक गणराज्य में तलाक की कार्यवाही के बारे में बुनियादी जानकारी-gawron.cz (मूल से 30 मार्च 2017 को संग्रहीत 11 जनवरी 2017 को पुनः प्राप्त ।

16.- क्या मेरे जीवनसाथी को मेरे वकील की फीस चुकानी होगी?" स्टीवन क्रिट्श, वकील । 12 नवंबर 2012 मूल से 29 अप्रैल 2013 को संग्रहीत । 12 अप्रैल 2013 को पुनः प्राप्त ।

17.- तलाक अधिनियम मूल से 26 सितंबर 2017 को संग्रहीत 24 सितंबर 2017 को पुनः प्राप्त ।

1. नोट: पति-पत्नी में से किसी एक द्वारा अपरिवर्तनीय विच्छेद के अस्तित्व के लिए तथ्य प्रस्तुत करना ही अपने आप में अपरिवर्तनीय विच्छेद के अस्तित्व का एक बहुत गंभीर संकेत है। नीदरलैंड्स तलाक (पीडीएफ) Cefloonline.net मूल (पीडीएफ) से 20 दिसंबर 2014 को संग्रहीत । 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त)

14- पोलैंड - तलाक (पीडीएफ). Cefloonline.net. मूल (पीडीएफ) से 20 दिसंबर 2014 को संग्रहीत. 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया.

20.- यूरोपीय आयोग यूरोपीय न्यायिक नेटवर्क तलाक पोलैंड, Europa.eu. मूल से 24 सितंबर 2014 को संग्रहीत 15 सितंबर 2014 को पुनः प्राप्त किया गया.